तथा फर्में 18 प्रतिशत अथवा इससे भी अधिक दर से ब्याज लेती हैं ;

(ख) क्या इतनी अधिक दर पर ब्याज लेना विधि संगत है और यदि नहीं, तो इस की रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि ऋण लेने वाले लोग यदि कोई किश्त विलम्ब से देते हैं, तो उक्त कम्पनियां अवैध तरीकों से सम्बन्धित बसों तथा ट्रकों को जब्त कर लेते हैं, और यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) इस तरह की शिकायतें मिली हैं और आरोप लगाये गये हैं कि किराया खरीद के लिए धन देने वालों की ब्याज की दरें, खास कर दिल्ली क्षेत्र में, बहुत ऊंची हैं, लेकिन सरकार के पास वास्तविक या प्रभावी दरों या ब्याज लेने या देने वाली पार्टियों के बारे में ठीक-ठीक या निश्चित सूचना नहीं है ।

(ख) किराया खरीद के लिए धन देने वालों द्वारा ली जाने वाली दरों पर इस समय कोई नियन्त्रण नहीं है, लेकिन अतिब्याजू ऋण अधिनियम 1918 के अधीन जिस रूप में इसे पंजाब ऋणग्रस्तता सहायता अधिनियम 1934 के द्वारा संशोधित करके दिल्ली संघीय राज्य क्षेत्र में लागू किया गया है, उधार लेने वाले किसी व्यक्ति को यदि ब्याज की दरें बहुत ऊंची जान पड़ती हों तो उसे अदालत की शरण लेने की स्वतन्त्रता है ।

(ग) किराया खरीद के व्यक्तिगत करारों में शामिल की जाने वाली शर्तों और जिस हद तक उन शर्तों का उल्लंघन किया जाता है उसके सम्बन्ध में सरकार को ठीक-ठीक जानकारी नहीं है । किराया खरीद के आधार पर लेन-देन करने से सम्बद्ध कानून को, इस विषय में विधि आयोग की रिपोर्ट को देखते हुए, संहिताबद्ध करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

Flood and Erosion Schemes in Gauhati

2707. Shri P. C. Borooah:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri Subodh Hansda:
Shri S. C. Samanta:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether a scheme has recently been approved by Government to save Gauhati from floods and erosion by Brahmaputra; and

(b) if so, the cost and other details of the scheme?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed): (a) A scheme for the protection of Gauhati town from erosion by the Brahmaputra was approved by Planning Commission in May, 1965.

(b) The scheme estimated to cost Rs. 35·45 lakhs, comprised of the construction of revetment with suitable apron and toe walls from Sulkeswar Ghat to N.C.C. building site at Gauhati on the left bank of Brahmaputra to provide permanent protection against erosion.

गंडक परियोजना

2708. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंडक परियोजना के बांध के द्वार के लिये अभी तक उपयुक्त किस्म के लौह-चादर उपलब्ध नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या द्वार के अभाव में गंडक परियोजना के सिंचाई कार्यक्रम में विलम्ब होगा?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) और (ख). कपाट बनाने वालों को 900 टन एम० एस० चादरें